न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया
जमानत आवेदन सं0–270/2026
चौथम थाना काण्ड सं0–62/2026

ओम प्रकाश सिंह – बनाम् – बिहार सरकार

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
खगड़िया।

18.03.2026

काराधीन आवेदक/अभियुक्त–**ओम प्रकाश सिंह** की ओर से चौथम थाना काण्ड सं0–62/2026, धारा–126(2), 115(2), 117(2), 109, 303(2), 352, 351(2), 351(3), 3(5) BNS के अन्तर्गत दर्ज मामले में, यह जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो शपथ–पत्र से समर्थित है, जिसे उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार शर्मा की ओर से संचालित किया गया। आवेदक/अभियुक्त दिनांक **22.02.2026** से कारा अभिरक्षा में है।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन यह है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक की ओर से अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्ध अन्य तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें वह जमानत पर है। आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक सूचिका के पति का सगा भाई है। सूचिका अपने पति के साथ मिलकर अपने ही भाई श्री प्रकाश सिंह के शेयर हाउस पर कब्जा करने की काशिश की और आवेदक ने उसका विरोध किया, इसी कारण से उसका नाम भी इस मामले में शामिल किया गया है। कथित धाराएं जमानतीय है, सिवाय धारा–109 और 303(2) BNS के, जिसे इस मामले में झूठा जोड़ा गया है। आवेदक लगभग 73 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति हैं। सूचिका के पति के सभी भाई एक–दूसरे से अलग हो चुके हैं। फिर भी सूचिका के पति ने पहले हुए बंटवारे के विरूद्ध विवाद खड़ा कर दिया है, जिसके लिए अंचलाधिकारी, चौथम के समक्ष जनता दरवार में एक मामला लम्बित है। यह मामला केवल आवेदक सहित सभी भाईयों पर दबाव बनाने के इरादे से दर्ज किया गया है। आवेदक बिना किसी गलती के दिनांक 22.02.

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया
जमानत आवेदन सं0–270/2026
चौथम थाना काण्ड सं0–62/2026

लगातार
18.03.2026

2026 से कारा अभिरक्षा में है। आवेदक उचित राशि का जमानत बंध–पत्र दाखिल करने के लिए तैयार है तथा फरार नहीं होंगे। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से जमानत का विरोध किया गया।

सूचिका के लिखित आवेदनानुसार, अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि चार–पांच दिनों से सूचिका अपने मकान के द्वितीय तल के ढ़लाई का कार्य करवा रही थी। दिनांक 21.02.26 को समय आठ बजे घर पर थी और मजदूर ढ़लाई का कार्य कर रहे थे। कुछ समय बाद अचानक ओम प्रकाश सिंह एवं श्रीप्रकाश सिंह, भरत कुमार जोशी, तरूण कुमार सिंह, बिट्टू कुमार, अमीना देवी गाली–गलौज करते आए तथा सूचिका का बाल पकड़कर गिरा दिये तथा सभी मिलकर मारपीट करने लगे। भरत कुमार जोशी एवं ओम प्रकाश सिंह ईंट से माथा पर मारा, साथ ही अमीना देवी सूचिका को जान से मारने के नियत से उसका गला को दबा रखी थी। सूचिका के गला से सोने का चेन और कान का बाली खोल लिया। सूचिका को बचाने के लिए उसका पुत्र भूषण भारती आया तो उसके साथ भी भरत कुमार जोशी तथा ओम प्रकाश सिंह मिलकर बेरहमी से मारपीट किया। सूचिका को बचाने आया तो उसके सिर पर मारा तथा राजेश कुमार रवि, जो सूचिका का काम करवा रहा था, उसे भरत कुमार जोशी एवं अन्य सभी लोग जान मारने के नियत से रड से सिर पर मारा, जिससे उसके कान से खून बहने लगा एवं बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर गया।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि इस आपराधिक वाद में आवेदक सहित अन्य सह–अभियुक्तों के विरूद्ध ऊपरी अंकित धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। आवेदक/अभियुक्त पर लगाया गया आरोप सामान्य एवं सर्वव्यापी है। जमानत आवेदन के पारा–3 के

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया
जमानत आवेदन सं0–270/2026
चौथम थाना काण्ड सं0–62/2026

लगातार
18.03.2026

अनुसार, आवेदक के विरूद्ध अन्य तीन मामले दर्ज है, जिसमें वह जमानत पर है। उभय पक्ष एक परिवार के सदस्य हैं तथा आवेदक सूचिका के पति का सगा भाई है। दोनों पक्षों के बीच घर के बंटवारे को लेकर विवाद है। एफ.आई.आर. के अनुसार, आवेदक की उम्र–59 वर्ष है। जान मारने का आशय प्रतीत नहीं होता है। पूर्व में सह–श्री प्रकाश सिंह को प्रभारी सत्र न्यायाधीश, खगड़िया के द्वारा जमानत आवेदन सं0–236/26 के माध्यम से दिनांक 0603.2026 को जमानत प्रदान किया गया है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 22.02.2026 से कारा अभिरक्षा में है, ऐसी दशा में उसे Cost के साथ जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारा अवधि को ध्यान में रखते हुए **आवेदक/अभियुक्त को मो0–3,000/– (तीन हजार) रूपये Cost के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खगड़िया में जमा करने के निर्देश के साथ** मो0–10,000/– (दस हजार) रूपये के दो समान प्रतिभूओं के द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल किये जाने एवं विद्वान् विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि **आवेदक/अभियुक्त का दोनों जमानतदार उसके परिवार के निकट संबंधी होंगे।**

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

Date of Judgement/Order	18.03.26
Date of Reserving Judgement/Order	——
Uploading Date	19.03.26
Uploading by	Nikhil Kumar (D.E.O)